

26/12/12

6

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गवालियर एवं अवधीन संस्थानों
विश्वविद्यालय की बात ही कैसा बाहेर न
हो सकती और इन्हें भी कौन बात है।
गवालियर विश्वविद्यालय की बात ही दर
मासिक रूप से जो वर्ष उत्तम एवं अचू
क्षण छोड़ देते रहे तो इन्हें नहीं होती।



5.24	प्रौद्योगिकी
4.50%	10.25/-, 23.41/2.76
	10.25/-, 23.42/2.77
6.25%	12.75/-, 23.41/2.76

प्रेसकार :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
लाइब्रेरी
प्राप्तिकारकार्यालय, अवधीन संस्थान 2009/ 58/12

दिनांक 22/12/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कामकाल के लिए एन्ड्रूकोशल कॉलेज, गुरुभूषण का जागा ग्वालियर की सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए प्रत्यारित दाखिलत बीएड. पाठ्यक्रम कक्षा-प्राचारिकों विभागों की अख्याली समझौता हेतु अनुशासन एवं कामकाल के लिए गवालियर कॉलेज गवालियर राज्यीय उम्मीदवारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अध्यार्थियोंने 1973 से परिविहार 27(10) के अधारान विभागालय निरीक्षण अभियान का गठन किया है।

- (1) प्रो. जे.एन. गोप्ता, गुलामियारिया, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संघर्षक)
- (0751-2142603)
- (2) डॉ. गणेश दुबे, एप्पोलोइट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. देव शीतालता, गावार्य, गोप्ता गवालियर, ग्वालियर।

विश्वविद्यालय संघर्षकों ने सदस्यों के अवधारणा है कि वे परिविहार 27/28 के प्राप्तानों के अनुरूप सदाविद्यालय का प्रत्यक्ष विभिन्न कार्यक्रम, वर्तमान राजि, गोप्ता गवालियर अधिकारिक स्टॉफ, प्रधिकृत रूप से प्राप्त अनुसन्धानकार्यालय, भवन, डॉक्टर एवं प्राचारिक अधिकारी आदि को विभिन्न रूप से फैला रखते की पूर्ण भव विभाग एवं तत्व विभाग विभिन्न रूप से विभिन्न विभागों का प्रभाव एवं देश आदि के बारे में स्पष्ट लिखना/अनुशासन अधिकृत करे। गवालियर विश्वविद्यालय प्राचारिक अध्ययन सूचका पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय संघर्षकों द्वारा सदस्यों ने सभार्नी स्थापित कर विश्वविद्यालय कराये। अभियान उम्मीदवारों द्वारा विश्वविद्यालय में जमाना करने के लिए विश्वविद्यालय का वालय में जमा करें। विश्वविद्यालय वालय करने का कालखालिल विश्वविद्यालय का होगा।

संघर्षकों का पत्र प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में की अपूर्व दीर्घी के लिए गवालियर लाग उत्तराधीन होगा। विश्वविद्यालय का आयुक्त, उच्च नियम, अधिकारियों को भेज दी जावेगी। वहाँ गवालियर लाग 03 माह में विश्वविद्यालय वही कराया है तो संघर्षकों द्वारा विश्वविद्यालय की अनुसार सरकारी विभागों द्वारा गवालियर लाग 25,000/- जमा कराये जावें। तथ्यवाच्य द्वारा विश्वविद्यालय का प्रबंधन विभाग लागेंगे। परिविहार 27(1)(7) के अनुसार सरकारी प्राप्त किए विभाग छात्रों को प्रतेष्ठा देना अवैधिक है।

विश्वविद्यालय संघर्षकों ने सदस्य लागल्लुता लाग जो कार्यालय अधीकारी / कार्यालय उत्तराधीन प्राप्त कराये तो कार्यालय गवालियर का उत्तराधीन से विश्वविद्यालय संघर्षकों को अनुसार करायें। विश्वविद्यालय के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / सालरेव सदाविद्यालय द्वारा दें।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सदस्यों की ओर सूचनाएँ एवं अनुसारक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचारिक अध्ययन, संक्षेपत गवालियर विश्वविद्यालय की ओर संलग्न अग्रह है कि संघर्षकों द्वारा संघर्षकों से संघर्षक स्थापित कर विश्वविद्यालय के अन्दर विभाग कराये। उत्तराधीन 15 दिनों के अन्दर विभाग की व्याप्ति करें।
3. आयुक्त उच्च नियम, उत्तराधीन गवालियर विभाग
4. कार्यालयी के साथियों / कुलसंचिव के निजी गतियों, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसंचिव (संक्षेपता)